न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक प्र.क. आरएन/10–3/आर/306/93 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–02–93 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा प्रकरण कमांक निग0 41/91–92.

रमाकांत पुत्र इन्द्रगोपाल मिश्रा
निवासी ग्राम सेमरा तहसील कोतमा जिला शहडोल ---- आवेदक

विरूद्ध

श्यामवती पुत्र श्री कोलई केवट
निवासी ग्राम सेमरा, तह. कोतमा जिला शहडोल म.प्र. ----- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी ।
अनावेक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर ।

:: आदेश ::
(आज दिनांक 10-09-15 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक निग0 41/91–92 में पारित आदेश दिनांक 08–02–93 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि अनावेदक श्यामबली ने तहसीलदार कोतमा के न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन हेतु म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहितभूमि पर भूमिस्वामी अधिकारिं का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत आवेदन दिया जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने 28–12–89 के आदेश द्वारा उसे भूमिस्वामी घोषित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक रमाकांत ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण व्यवस्थापन का है । आयुक्त ने एस.डी.ओ. के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 28–12–89 में अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा 6–7 वर्ष होने का उल्लेख किया है तहसीलदार का आदेश पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 3–11–89 पर आधारित है । अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है । अपर आयुक्त यह यह निष्कर्ष उचित है कि यदि एस.डी.ओ. तहसील न्यायालय के आदेश एवं पटवारी के प्रतिवेदन से सहमत नहीं थे तो उन्हें प्रकरण में छानबीन करना थी । प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर